FAX | OUT-TODAY

अतिआवश्यक/समयबद्ध/मा0 न्यायालय प्रकरण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-12/2012 दिनाँक लखनऊ:फरवरी 28,2012

सेवा में,

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय:- रिट याचिका संख्या-2435(एम/बी)/2001 निशातगंज रेजीडेन्टस वेलफेयर सोसाइटी बनाम लखनऊ नगर निगम व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनाँक: 17.02.2012 के अनुपालन हेतु कार्यवाही का सुनिश्चित किया जाना।

कृपया सार्वजनिक रास्तों, फुटपाथों व सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने व हटाए गए स्थान पर पुनः अतिकमण नही होने देने के संबंध में इस मुख्यालय स्तर से निर्गत डीजी परिपत्र संख्या-05/2000 दिनाँक 22.02.2000, परिपत्र संख्या डीजी-10(12)87/953 दिनाँक 03.11.1999 एवं यातायात निदेशालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-डीटी-10(12)87/953 दिनाँक 03.11.1999 एवं डीटी-10(12)87/1453 दिनाँक 13.05.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-2435(एम/बी)/2001 निशातगंज रेजीडेन्टस वेलफेयर सोसाइटी बनाम लखनऊ नगर निगम व अन्य में दिनाँक 17.02.2012 को सुनवाई के पश्चात आदेश पारित करते हुए सड़कों पर अवैध अतिकमण को समय-समय पर हटाये जाने और एक बार अतिक्रमण हट जाने के बाद उन स्थानों पर दोबारा अतिकमण होने पर थानो मे नियुक्त बीट प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन न होने के कारण कई स्थानों पर अभी भी सड़कों पर अतिकमण की समस्या बनी हुयी है। अतः अतिकमण हटाए जाने के संबंध मे प्रभावी कार्यवाही हेतु आप सभी को पुनः निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए जा रहे है

(1)अपने कार्यक्षेत्र में नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि सभी थाने के बीट इन्चार्ज जहाँ-जहाँ अतिकमण पूर्व में हटाया जा चुका है वहाँ दोबारा अतिक्रमण न होने दिया जाए।

(2)सभी क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से चेक करते रहेंगे कि बीट प्रभारी इन्कोचमेंट दोबारा लगने न दें और यदि कहीं भी दोबारा अतिक्रमण पाया जाता है तो ढिलाई बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे।

(3)जनपदीय पुलिस प्रभारी, क्षेत्राधिकारी नगर निगम/नगर पालिका तथा उपजिलाधिकारी से सम्पर्क रखते हुए अतिक्रमण हटाने के अभियान चलवायेंगे एवं चलाए जाने वाले अभियान में सुरक्षा प्रदान करेंगे।

(4)सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में अतिक्रमण नियंत्रण का सघन पर्यवेक्षण भी करते रहेंगे।

(5)उन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में विशेष रूप से प्रयास किया जाए जहाँ इस वजह से यातायात जाम की समस्या होती है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निर्गत किए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाए।

<u>संलग्नक:यथोपरि।</u>

(अतुल) 28.2.
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0लखनऊ।

प्रतिलिपि:1. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक यातायात लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रकरण में दिनाँक 29.02.2012 के पूर्व उक्त मामले में मेरी ओर से प्रतिशपथपत्र दाखिल कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।